

विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, “मेट्रो प्लाज़ा”, बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-02/14

मेसर्स गजरा डिफरेंशियल गियर्स प्रा० लि०,
ग्राम लोहार पिपल्या, क्षिप्रा के पास,
ए.बी. रोड़, देवास (म.प्र.) – 455001

— आवेदक

विरुद्ध

अधीक्षण यंत्री (सं./सं.) वृत्त,
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
देवास (म.प्र.) – 455001

— अनावेदकगण

आवेदक की ओर से श्री के.के. कालानी, तकनीकी सलाहकार उपस्थित ।
अनावेदक की ओर से श्री ए.के. शर्मा, कार्यपालन यंत्री उपस्थित ।

आदेश
(दिनांक 19.02.2014 को पारित)

- विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्डौर एवं उज्जैन क्षेत्र (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया जावेगा) के शिकायत प्रकरण क्रमांक W0256913 मेसर्स गजरा डिफरेंशियल गियर्स प्रा० लि०, ग्राम लोहार पिपल्या, क्षिप्रा के पास, ए.बी. रोड़, देवास विरुद्ध मुख्य अभियंता (उत्तर क्षेत्र) मप्रपक्षेविविकंलि., उज्जैन में पारित आदेश दिनांक 16.09.2013 के विरुद्ध यह अभ्यावेदन आवेदक/उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है ।
- आवेदक/उपभोक्ता के परिसर में दिनांक 27.06.05 को मीटर परीक्षण संभाग उज्जैन द्वारा एम.ई. की स्थापना की गई थी । दिनांक 07.05.13 को लगभग शाम 4.00 बजे एम.ई. में फॉल्ट आया था । दिनांक 08.05.13 को शाम लगभग 5.30 बजे एम.ई. को बायपास कर सप्लाई को पुनः चालू किया गया था । दिनांक 09.05.13 को शाम 3.20 बजे लाईन पर परमिट लेकर एम.ई. को बदला गया था । उक्त एम.ई. का परीक्षण मीटर टेस्टिंग डिवीजन द्वारा दिनांक 09.05.13 को किया गया था । परीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार एम.ई. का परीक्षण करने पर एम.ई. यार्ड में काला तेल फैला हुआ पाया गया था, सीटी दोषपूर्ण पाई गई थी तथा पीटी को सही होना पाया गया था । उक्त रिपोर्ट के आधार पर अनावेदकगण ने यह माना था कि मीटर उपभोक्ता की गलती के कारण जला है, अतः उपभोक्ता से 81333 रु. की वसूली की गई थी । मीटर का मूल्य उपभोक्ता से वसूल किए जाने के संबंध में उपभोक्ता ने फोरम के समक्ष इस आशय की

शिकायत की थी कि एम.ई. अनावेदक की लाईनों में फॉल्ट होने के कारण जली है, उपभोक्ता की कोई गलती नहीं है, अतः मीटर का मूल्य उससे वसूल न किया जाए ।

3. अनावेदक की ओर से उपभोक्ता की शिकायत के संबंध में इस आशय की आपत्ति की गई थी कि उपभोक्ता की गलती एवं उसकी आंतरिक लाईनों में दोष (फॉल्ट) के कारण एम.ई. जली/खराब हुई है, अतः ऐसी खराब हुई एम.ई. का पूरा मूल्य अदा करने के लिए उपभोक्ता उत्तरदाई है ।

4. फोरम ने यह पाया था कि मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किए गए संयंत्र हेतु व्ययों एवं अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण – प्रथम) 2009 क्रमांक 1902 के परिशिष्ट – 1 के बिन्दु क्रमांक VI के अनुसार उपभोक्ता से डिप्रीशिएट कार्स्ट ही जमा कराई जानी चाहिए । प्रश्नगत एम.ई. उपभोक्ता अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी की गलती से जली थी, यह उपभोक्ता द्वारा साबित नहीं किया गया है, अतः उपभोक्ता से एम.ई. का पूरा मूल्य वसूल न किया जा सका, उससे एम.ई. अर्थात् मीटर का डिप्रीशिएट मूल्य वसूल किया जावे । इस तरह फोरम ने उपभोक्ता की शिकायत का आंशिक रूप से निराकरण किया था ।

5. उपभोक्ता ने फोरम के उक्त आदेश के विरुद्ध यह अभ्यावेदन मुख्य रूप से इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि फोरम ने एम.ई. उपभोक्ता की गलती से जलने के जो निष्कर्ष दिए हैं वह उचित तथा विधिसंगत नहीं है, अतः एम.ई. का डिप्रीशिएट मूल्य उससे वसूल नहीं किया जाना चाहिए ।

6. उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य रूप से विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या – प्रश्नगत मीटिंग उपकरण के जलने अथवा खराब होने का दायित्व उपभोक्ता पर स्थापित होता है ?

कारणों सहित आदेश इस प्रकार है :-

7. फोरम ने यह निष्कर्ष दिया है कि एम.ई. 8 वर्ष पुरानी थी, उसकी गारन्टी समयावधि समाप्त हो चुकी थी । एम.आर.आई. की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उससे यह प्रतीत नहीं होता है कि एम.ई. विपक्ष अर्थात् विद्युत वितरण कम्पनी की गलती से जली थी । उपभोक्ता की सप्लाई में कमी अथवा त्रुटि होने के कारण एम.ई. जली है, ऐसा रिपोर्ट से परिलक्षित नहीं होता, जबकि उपभोक्ता की लाईनों में कुछ तकनीकी खराबियों के कारण एम.ई. का जलना प्रतीत होता है । फोरम द्वारा उपभोक्ता पर जो दायित्व निर्धारित किया गया है उसका समुचित आधार फोरम के आदेश का अवलोकन करने से नहीं पाया जाता है । उपभोक्ता की लाईनों में कोई खराबी थी ऐसा निष्कर्ष देने का कोई साक्ष्य या आधार फोरम के पास नहीं था, ऐसी स्थिति में फोरम ने उपभोक्ता की लाईनों में तकनीकी खराबी के कारण एम.ई. जलने का जो निष्कर्ष दिया है वह उचित तथा तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है ।

8. एम.आर.आई. की जो रिपोर्ट फोरम के समक्ष प्रस्तुत की गई है उस रिपोर्ट में एम.ई. में काला तेल फैला हुआ पाए जाने का निष्कर्ष दिया गया है, परन्तु मीटरिंग उपकरण जला था ऐसा इस रिपोर्ट में लेख नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त रिपोर्ट में यह लेख नहीं है कि सी.टी. के दोषपूर्ण होने का क्या कारण था। ऐसी स्थिति में इस रिपोर्ट के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि उपभोक्ता के परिसर में स्थापित उपकरणों में दोष आने के कारण प्रश्नगत उपकरण में फॉल्ट हुआ था।

9. मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 की धारा 11.4 के प्रावधानों के अनुसार यदि उपभोक्ता के परिसर में लगाए गए विद्युत संयंत्र लाईन या मीटर या अन्य कोई उपकरण को छेड़ा जाता है या क्षति पहुंचाई जाती है या उसे खराब पाया जाता है तो अनुज्ञाप्तिधारी ऐसे उपकरण की लागत उपभोक्ता से वसूल कर सकता है। उक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि ऐसे उपकरण की लागत उपभोक्ता से उसी स्थिति में वसूल की जा सकती है जब ऐसे उपकरण में खराबी या क्षति उपभोक्ता द्वारा की गई छेड़छाड़ से अथवा उसकी किसी गलती से आई हो। इस मामले में उपभोक्ता की ओर से प्रश्नगत उपकरण में कोई छेड़छाड़ की गई थी अथवा उपभोक्ता की किसी विशिष्ट गलती के कारण प्रश्नगत उपकरण खराब हुआ था, का साक्ष्य अनावेदक की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. प्रश्नगत एम.ई. में फॉल्ट आने का कारण उपभोक्ता की गलती थी इस तथ्य को साबित करने के लिए अनावेदकगण की ओर से एम.आर.आई. रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। दिनांक 08.05.13 को जब एम.ई. को बॉयपास कर सप्लाई को पुनः चालू किया गया था उस समय कोई पंचनामा अनावेदक गण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। दिनांक 09.05.13 को जब एम.ई. को बदला गया था उस समय का भी कोई पंचनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि 07.05.13 को एम.ई. में फॉल्ट आने की जानकारी होने पर सबसे पहले जब अनावेदक कम्पनी के अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया था उस समय उन्हें मौके में जो साक्ष्य प्राप्त हुआ था यदि उसे संकलित किया जाता तो एम.ई. में फॉल्ट होने की वास्तविक जानकारी को प्राप्त किया जा सकता था, परन्तु ऐसी कोई कार्यवाही अनावेदक कम्पनी के अधिकारियों द्वारा किया जाना परिलक्षित नहीं होता है, अतः मात्र एम.आई.आर. रिपोर्ट के आधार पर उपभोक्ता की गलती को साबित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

11. मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की धारा 8.12 के अनुसार उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर आदि को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने का दायित्व उपभोक्ता पर है, परन्तु उपभोक्ता ने प्रश्नगत एम.ई. को सुरक्षित रखने के अपने कर्तव्य की उपेक्षा की थी, इसे साबित करने का कोई साक्ष्य अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

12. मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की धारा 8.15 के प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा एक निश्चित समय अवधि में मीटरों का निरीक्षण/परीक्षण किए जाना आवश्यक है। उपभोक्ता के परिसर में स्थापित प्रश्नगत मीटर एम.डी.आई. सहित एच.टी. मीटर था, जिसका निरीक्षण/परीक्षण प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार किया जाना आवश्यक था। प्रश्नगत मीटर 8 वर्ष पुराना था उसकी गारन्टी की अवधि समाप्त हो गई थी, परन्तु दिनांक 07.05.13 के पूर्व अनावेदक कम्पनी के अधिकारियों द्वारा उक्त मीटर का परीक्षण कभी किया गया था इस तथ्य का कोई साक्ष्य अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। विधि के उक्त प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में यदि मीटर का परीक्षण नियमानुसार प्रत्येक वर्ष किया जाता और उक्त निरीक्षण/परीक्षण में मीटर को सही पाया जाता तथा इसके बाद मीटर में त्रुटि पाई जाती तो मीटर में क्षति होने या खराब होने का दायित्व उपभोक्ता पर निर्धारित किया जा सकता था, परन्तु इस मामले में अनावेदक कम्पनी के अधिकारियों द्वारा उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर का परीक्षण विधि में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्या एम.आर.आई की प्रश्नगत रिपोर्ट से मीटर में फाल्ट आने का दायित्व उपभोक्ता पर आता है।

13. प्रश्नगत एम.आर.आई. रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि मीटर की सी.टी. में जो दोष पाया गया था वह उपभोक्ता के परिसर में स्थापित किसी उपकरण के दोष के कारण आया था – इसी तरह मीटर में जो काला तेल फैला था उसका क्या कारण था या क्या कारण हो सकता था, इसका स्पष्टीकरण भी रिपोर्ट में नहीं दिया गया है।

14. प्रश्नगत एम.आर.आई रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आवेदक कम्पनी की ओर से रिपोर्ट देने वाले प्राधिकारी से इस तथ्य की विशिष्ट जानकारी प्राप्त नहीं की गई कि प्रश्नगत मीटर में दोष पाए जाने का कारण क्या था।

15. उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण करते समय फोरम ने यह निष्कर्ष दिया है कि उपभोक्ता की लाईन में कुछ तकनीकी दोष के कारण एम.ई. का जलना संभावित था, परन्तु ऐसी तकनीकी दोष क्या था तथा ऐसे तकनीकी दोष का कौन सा साक्ष्य उपभोक्ता के विरुद्ध हुआ था इसका उल्लेख फोरम द्वारा नहीं किया गया है। अतः फोरम का निष्कर्ष मात्र अनुमान पर आधारित होना पाया जाता है। निश्चित आधार के बिना अनुमान पर आधारित ऐसे निष्कर्ष को मान्य नहीं किया जा सकता है।

: निष्कर्ष :

16. उपरोक्त विवेचन से यह पाया जाता है कि प्रश्नगत मीटर में फॉल्ट उपभोक्ता की गलती के कारण आया था या प्रश्नगत उपकरण जला था, इस तथ्य का कोई साक्ष्य अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः प्रश्नगत मीटर के खराब होने का दायित्व उपभोक्ता पर उपधारणा के आधार पर

अधिरोपित नहीं किया जा सकता है। उपभोक्ता की यह शिकायत उचित तथा तर्कसंगत प्रतीत होती है कि प्रश्नगत उपकरण उसकी गलती के कारण नहीं जला था।

17. अतः उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार किया जाता है। फोरम के आदेश को अपास्त किया जाता है तथा यह आदेश दिया जाता है कि अनावेदकगण ने उपभोक्ता से एम.ई. का जो मूल्य वसूल किया है उस मूल्य को उसे एक माह के अन्दर वापस किया जाए अथवा आगे आने वाले बिलों में उसका समायोजन किया जावे।

18. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो। आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित।
3. फोरम की ओर प्रेषित।

विद्युत लोकपाल